न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर खण्डपीठ रीवा म0प्र0

R. 5071-पी/15

Rs. 20/-

425
23.9.15

राजबहोरन सिंह तनय श्रीपाल सिंह उम्र 54 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम रूझौंही, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

——————निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा कलेक्टर रीवा म0प्र0

——————गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

श्री हरिकृष्ण मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 23.9.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 06.05.2015 जो कलेक्टर महोदय द्वारा निगरानी प्रकरण क0–07 / ए19 / स्व.निग. / 06–07 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

मान्यवर्

कलेक्टर महोदय के उक्त आदेश दिनांक 06.05.2015 के आदेश के विरूद्ध निगरानी में आधार लेने के पूर्व यह आवश्यक है कि इस निगरानी के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाय, जिससे कि न्यायालय को इस निगरानी के निराकरण में सहायता मिल सके, ऐसी स्थिति में निगरानी से सम्बन्धित तथ्य नीचे लिखे अनुसार हैं :–

1– यहकि आवेदक के पिता श्री पाल सिंह भूमि नं0–164, 165, 168, 169, 179, 186, 187, स्थित ग्राम रूझौंही, तहसील सिरमौर, जिला रीवा प्रार्थी के पिता श्रीपाल सिंह के स्वत्व आधिपत्य की भूमि थी,

२।५बलोरन / २१५

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(79)

अनुवृति आदेश पृष्ठ

जिला- रीवा

प्रकरण क्रमांक R 5071-II/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 19/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6/अ-19/स्वनि./06-07 में पारित आदेश दिनांक 06/05/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । मौखिक सदस्य 6/2/19	